पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 15, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1–3	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1–6	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	1–6	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	1–8	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

आवास अनुभाग–1

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 783/V/आ0–2012–83 (से0अ0)/2012–सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1801/XXXI/आ0–2012–83(आ0)/2012, दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा का अधिकार आयोग के गठन होने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का निवर्हन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु श्री एस0 राजू, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया गया है।

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों की सुनवाई हेतु प्रत्येक माह का तृतीय शुक्रवार निर्धारित किया जाता है तथा सुनवाई प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के उत्तराखण्ड सचिवालय स्थित कार्यालय में की जायेगी।

3. सेवा के अन्तर्गत पारित आदेश के पुनरीक्षण से सम्बन्धित आवेदनों के संदर्भ में द्वितीय अपीलीय अधिकारी पुनरीक्षण के आवेदन के उपरान्त पड़ने वाले माह के तृतीय शुक्रवार को प्रत्येक दशा में उपस्थित होंगे तथा इस संदर्भ में सम्बन्धित अपीलकर्त्ता को अपनी ओर से उपस्थिति के सम्बन्ध में भी अवगत करायेंगे।

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–6

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

04 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 510/XXVII (6)/2012–तात्कालिक प्रभाव से निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवाओं के अन्तर्गत सहकारी समितियां एवं पंचायतें, प्रभाग में कार्यरत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 के रिक्त पदों में पदोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें कॉलम–4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, बागेश्वर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बागेश्वर
3.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल
4.	श्री तारा दत्त भट्ट	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, चम्पावत	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, चम्पावत
5.	श्री सुभाष चन्द्र कपूर	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार

1	2	3	4
6.	श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल
7.	श्री राकेश मोहन सहगल	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, हल्द्वानी, नैनीताल
8.	श्री दर्शन लाल डोभाल	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग
9.	श्री ललित किशोर बुधानी	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
10.	श्री सतीश चन्द्र शाह	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली
11.	श्री दीवान सिंह कार्की	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा
12.	श्री भोला दत्त मलकानी	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी

2. उल्लिखित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 813/V–2012–26 (आ0)/2001–अधिसूचना संख्या 844/V/आ0–2009–26 (न0वि0)/01, दिनांक 02 नवम्बर, 2011 एवं अधिसूचना संख्या/V–2012–26 (आ0)/2001, दिनांक 13 जुलाई, 2012 को अतिक्रमित करते हुये क्रमशः उत्तराखण्ड (उ0प्र0 निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2006 की ध ारा 15(क)(2) एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2006 की धारा 41(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है।

2. अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अन्तिम आदेश पारित करेंगे।

एम0 एच0 खान,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/12–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जनवरी, 2013 ई0 (15 पौष, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

21 नवम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 3594/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVi), जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुये फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुये फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री नारंग एण्ड कम्पनी, रुड़की	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-K2010/ 0849878, 0849879
2.	सर्वश्री इनरस्प्रिंग टैक्नोलॉजी (प्रा0 लि0), पन्तनगर	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0168668
3.	सर्वश्री न्यू ऐलनबैरी वर्क्स, प्लॉट नं0–62, सैक्टर–11, पन्तनगर	प्ररुप–XVI (09)	U.K.VAT-K2010/ 0175832, 0175850, 0175763, 0300248, 0300388, 0300328, 0300364, 0656977 U.K.VAT-M 2012/0173931
4.	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-K2010/ 0005362, 0005727
5.	सर्वश्री दी कन्वेन्शनल फासनर्स, डी–4, इन्ड0 एरिया, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 1003175

विज्ञप्ति

10 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 3895/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVi)/11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुये फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुये फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री उत्तरांचल रोलर फ्लोर मिल्स प्रा0लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)	प्ररुप–11 (04)	U.A.VAT-A2006/ 016820, 016821, 016822, 016829
2.	सर्वश्री मीरा इण्डस्ट्रीज एफ–71, इण्डस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (02)	U.K.VAT-K2010/ 1111633, 1111634

विज्ञप्ति

17 दिसम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 4025/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररुप–XVi), जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुये फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुये फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री दी शिवालिक एण्टरप्राइजेज, ऋषिकुल, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 2298953
2.	सर्वश्री वैदर कॉम्पैक्ट इन्जीनियर्स प्रा0लि0, प्लाट नं0 एफ–1, सैक्टर–6ए, सिडकुल, हरिद्वार	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 1377364

पीयूष कुमार,
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन),
वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
विज्ञप्ति

27 नवम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 3684/आयु0क0 उत्तरा0/वा0क0/विधि–अनुभाग/2012–13/देहरादून–ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर ने अपने पत्र संख्या 1699/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/12–13/विधि–अनु0/दिनांक 20.11.2012 द्वारा सर्वश्री अक्शा ट्रेडिंग कम्पनी, काशीपुर, टिन नं0 05010619003 को निरस्त/निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है। इस प्रकार अक्शा ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन निरस्त/निलम्बित किया गया है।

उक्त निरस्त/निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित अधिसूचना इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

सौजन्या,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून
आदेश

01 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 3522/लाईसेंस/निरस्त/2012–श्री कोमल सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश, 14 धर्मपुर डान्डा, देहरादून, द्वारा बिना शुल्क जमा कराये व बिना समुचित परीक्षण के गलत तरीके से अपनी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720100115742 में परिवहन यान श्रेणी अंकित कराये जाने का प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया। लाईसेंसधारक को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2012 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया, जो कि आवेदक का लाईसेंस में अंकित पता सही न होने के कारण इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु नोटिस पता सही न होने के कारण कार्यालय को प्राप्त हो गया है। इससे स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक का पता सही नहीं है या वह उक्त पते पर नहीं रह रहे हैं।

अतः, लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, एकतरफा कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

01 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 3523/लाईसेंस/निरस्त/2012–श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, 342, सहसरपुर, देहरादून, द्वारा बिना समुचित शुल्क जमा कराये व निर्धारित परीक्षण के गलत तरीके से अपनी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720100119812 में परिवहन यान श्रेणी अंकित कराये जाने का प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया। लाईसेंसधारक को इस सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2012 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

अतः, लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, एकतरफा कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

01 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 3524/लाईसेंस/निरस्त/2012–श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री श्याम लाल, 97, उम्मेदपुर, देहरादून, द्वारा बिना समुचित शुल्क जमा कराये व निर्धारित परीक्षण के गलत तरीके से अपनी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720100134340 में परिवहन यान श्रेणी अंकित कराये जाने का प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया। लाईसेंसधारक को इस सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2012 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अभी तक कोई उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

अतः, लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, एकतरफा कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

01 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 3525/लाईसेंस/निरस्त/2012–श्री सूरज सिंह पुत्र श्री सीता राम, 53, एमडीडीए कॉलोनी, देहरादून, द्वारा बिना शुल्क जमा कराये व बिना समुचित परीक्षण के गलत तरीके से अपनी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720090088100 में परिवहन यान श्रेणी अंकित कराये जाने का प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया। लाईसेंसधारक को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2012 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया, जो कि आवेदक का लाईसेंस में अंकित पता सही न होने के कारण इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु नोटिस पता सही न होने के कारण कार्यालय को प्राप्त हो गया है। इससे स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक का पता सही नहीं है या वह उक्त पते पर नहीं रह रहे हैं।

अतः, लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, एकतरफा कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

01 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 3526/लाईसेंस/निरस्त/2012–श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सरतू, 148, फतेहपुर, जस्सोवाला, देहरादून, द्वारा बिना समुचित शुल्क जमा कराये व निर्धारित परीक्षण के गलत तरीके से अपनी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720110149692 में परिवहन यान श्रेणी अंकित कराये जाने का प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया। लाईसेंसधारक को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2012 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया, जो कि आवेदक का लाईसेंस में अंकित पता सही न होने के कारण इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु नोटिस पता सही न होने के कारण कार्यालय को प्राप्त हो गया है। इससे स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक का पता सही नहीं है या वह उक्त पते पर नहीं रह रहे हैं।

अतः, लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, एकतरफा कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

आदेश

01 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 3527/लाईसेंस/निरस्त/2012–श्री अमित कुमार पुत्र श्री गोपाल सिंह, एमडीडीए कॉलोनी, देहरादून, द्वारा बिना शुल्क जमा कराये व बिना समुचित परीक्षण के गलत तरीके से अपनी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720000201111 में परिवहन यान श्रेणी अंकित कराये जाने का प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया। लाईसेंसधारक

को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 18.09.2012 को पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया गया, जो कि आवेदक का लाईसेंस में अंकित पता सही न होने के कारण इस कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है। लाईसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु नोटिस पता सही न होने के कारण कार्यालय को प्राप्त हो गया है। इससे स्पष्ट है कि लाईसेंसधारक का पता सही नहीं है या वह उक्त पते पर नहीं रह रहे हैं।

अतः, लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, एकतरफा कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (ङ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त लाईसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

संदीप सैनी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन) देहरादून।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 1/प्रशा0/6/2012–13/उविनिआ/1166–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

	1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2.	सदस्य (वित्त), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3.	सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
उद्योग एवं वाणिज्य प्रतिनिधि	4.	अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	5.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	6.	अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज, चैम्बर हाऊस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर	सदस्य
	7.	श्री एस0 पी0 कोचर, प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, मधुबन होटल, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8.	श्री अनिल गोयल, प्रदेश महामंत्री प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तरांचल, 13, गांधी रोड, देहरादून	सदस्य
कृषि प्रतिनिधि	9.	निदेशक, कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	सदस्य
श्रम प्रतिनिधि	10.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी	सदस्य
गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) प्रतिनिधि	11.	श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, 744, इन्दिरा नगर, फेज–2, पो0ओ0–न्यू फॉरेस्ट, देहरादून	सदस्य
परिवहन प्रतिनिधि	12.	चीफ इलैक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली	सदस्य
विद्युत क्षेत्र में अकादमी एवं शोध संस्था प्रतिनिधि	13.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियंत्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यो0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य
	14.	संयुक्त सचिव या उनके प्रतिनिधि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लाक नं0–14, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य

विद्युत उपभोक्ता प्रतिनिधि	15.	श्री रणवीर सिंह, 6/3, तेग बहादुर रोड, लेन नं0–4, देहरादून	सदस्य
	16.	ब्रिगेडियर के0 जी0 बहल (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, आल इण्डिया कन्ज्यूमर्स काउन्सिल, 8–ए, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून	सदस्य
	17.	डा0 एस0 के0 कुलश्रेष्ठ, द्वारा दून कन्ज्यूमर्स एवं प्रोटेक्शन सोसाईटी, 9, ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	सदस्य
	18.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	19.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य

विद्युत अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है :

(i) major questions of policy;
(ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
(iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
(iv) protection of consumers interest; and
(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाए।

जगमोहन लाल,
अध्यक्ष।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/12–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 15, 1934 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

जिला पंचायत, नैनीताल

उपविधियां

31 अक्टूबर, 2012 ई0

पत्रांक 588 / XII–5 / 2007–2008–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) की धारा 237, धारा 228 एवं 229 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 119 में आरोपित विभव तथा सम्पत्ति कर निर्धारण वसूली तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपविधियां सृजित की जाती हैं, जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगी।

सम्पत्ति एवं विभव कर उपविधियां

अध्याय–एक

1. (1) यह नियमावली जिला पंचायत, नैनीताल (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण, निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

(3) इसका विस्तार जिला पंचायत, नैनीताल के अधिकार क्षेत्र में निम्न क्षेत्रों में होगा :–

(क) इस कर के लिए कर योग्य आय से तात्पर्य अनुमानित आय से होगा किन्तु इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 121 के स्पष्टीकरण में इंगित बिन्दु 1,2,3,4 एवं 5 की आय कर योग्य नहीं होगी, धारा 121 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर कर की दर कुल कर योग्य आय पर 3 नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी।

(ख) जिला नैनीताल के समस्त मैदानी भाग एवं पर्वतीय भाग में यह कर सामान्य रूप से प्रत्येक उस व्यवसायी पर या व्यक्ति पर आरोपित किया जायेगा जिसका कि अधिनियम में प्राविधान है।

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) से है ;

(ख) "मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी और कर अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत, नैनीताल में तैनात मुख्य अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी और कर अधिकारी से है ;

(ग) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 119, खण्ड (क) के अधीन विभव और सम्पत्ति कर से है।

3. विभव और सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की जिला पंचायत, नैनीताल की शक्ति नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा (2) के अधीन नियम शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगी।

अध्याय–दो
कर निर्धारण अधिकारी

4. इस नियमावली के प्रयोजनार्थ कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल, कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। यदि जिला पंचायत, नैनीताल में कार्य अधिकारी तैनात न हो तो जिला पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

5. कर निर्धारण अधिकारी–

(क) यथा स्थिति मुख्य अधिकारी या अपर मुख्य अधिकारी के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कर निर्धारण सूची तैयार करेगा ;

(ख) कर निर्धारण सूची, जिला पंचायत के समक्ष रखेगा, जैसा कि नियमों में व्यवस्थित है और जिला पंचायत द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन करेगा ;

(ग) सूची को सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित करेगा ;

(घ) करदाताओं से कर वसूल करेगा या करायेगा ; और

(ङ) इस नियमावली के अधीन उसे सौंपे गये समस्त अन्य कर्त्तव्य का पालन और समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–तीन
कर निर्धारण का आधार और शर्तें

6. (1) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर निर्धारित की कुल कर योग्य आय के आधार पर कर का निर्धारण और भुगतान किया जायेगा परन्तु यह कि कोई कर उद्ग्रहित या संग्रहित न किया जायेगा। यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर निर्धारित की कुल कर योग्य आय ₹ 80,000 से अधिक न होती हो।

(2) अधिनियम की धारा 123 के अधीन बनाये गये प्रस्तावों के, जैसा धारा 125 के अधीन स्वीकृत है और धारा 128 के अधीन, अधिसूचना के अधीन रहते हुये, कर निर्धारित की कुल कर योग्य आय की गणना, उसकी विभव एवं सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत वेतन, मजदूरी और परिलब्धियों से आय, व्यापार से लाभ, बोनस और विनियोजनों से लाभांश और ब्याज भी है, पर विचार करते हुये की जायेगी।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है, जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारणाधीन वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 6 महीने तक इस प्रकार रह रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो।

7. कर आरोपण निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जायेगा :–

(क) कर की दर तीन पैसे प्रति रुपया होगी।

(ख) कर निर्धारण निकटतम रुपये तक किया जायेगा, 50 पैसे से कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि की गणना एक रुपये में की जायेगी।

(ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि ₹ 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(घ) कर आरोपण या वसूली के लिए जनसाधारण का शोषण या उस पर अत्याचार न किया जायेगा।

(ङ) कर का आरोपण या उसकी वसूली, जिला पंचायत की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दृष्टिगत रखते हुए की जायेगी।

अध्याय–चार

कर निर्धारण वसूली

8. (1) प्रत्येक वर्ष 15 दिसम्बर को या उसके पूर्व, कर निर्धारण अधिकारी, ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो कर के देनदार हों, एक सूची तैयार करेगा या तैयार करवायेगा। तत्पश्चात् वह सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति के और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जो सूची में दर्ज न किये गये हों किन्तु कर के देनदार प्रतीत हों, विभव और सम्पत्ति पर विचार करेगा और ऐसे कर की धनराशि का अवधारण करेगा जिसे ऐसे व्यक्ति नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार देनदार होंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम और निर्धारित की गई कर की धनराशि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में कर निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी और उसे यथासम्भव प्रत्येक वर्ष की 20 जनवरी को या उसके पूर्व पूरा किया जायेगा। कर का निर्धारण प्रति वर्ष नये सिरे से किया जायेगा किन्तु गत वर्ष की कर सूची को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) कर निर्धारण अधिकारी, अधिनियम की धारा 121 के खण्ड (क) में इंगित और कर के देनदार प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ख" में सूचना समेकित करेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कि–

(क) क्या ऐसा व्यक्ति कर के निर्धारण का दोषी है ?

(ख) धनराशि जिस पर कर निर्धारण किया जाना है।

(ग) जिला पंचायत में उसके स्वामित्व, कब्जे या अध्यासन में भूमि, भवन या किसी अन्य सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य या किराया (रेन्ट) क्या है, इनमें से प्रत्येक में उसका हित क्या है और यदि वह स्वामी नहीं है तो स्वामी का नाम और पता क्या है, और

(घ) कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारित करने के लिए जिला पंचायत के राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या किसी व्यक्ति से कोई सूचना, जो उसके पास या नियंत्रण में हो, देने की अपेक्षा कर सकता है।

9. कर निर्धारण अधिकारी, कर निर्धारण सूची को पूरा करने के पश्चात्, मुख्य अधिकारी या अपर मुख्य अधिकारी और अध्यक्ष, जिला पंचायत के अनुमोदन से, उसे यथासम्भव 29 जनवरी को या उसके पूर्व जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखेगा। जिला पंचायत उक्त सूची को संशोधन सहित या रहित अनुमोदित कर सकती है और उसे प्रत्येक यथासम्भव 15 फरवरी तक आवश्यक निर्देशों सहित, यदि कोई हो, कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर देगी।

10. (1) कर निर्धारण अधिकारी, जिला पंचायत के निर्देशों के, यदि कोई, अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह उस स्थान की सार्वजनिक सूचना देगा, जहां करदाता या उसके अभिकर्ता किसी प्रकार का भुगतान किये बिना सूची का निरीक्षण कर सकते हैं और उससे उद्धरण ले सकते हैं।

(2) यदि सार्वजनिक सूचना को किसी दैनिक अंग्रेजी या हिन्दी समाचार–पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया गया हो और सार्वजनिक सूचना के लिये उसके जिला पंचायत के सूचना–पट्ट पर चिपकाया गया हो, तो यह समझा जायेगा कि सार्वजनिक सूचना दे दी गई है।

11. (1) कर निर्धारण सूची की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी प्रत्येक करदाता को नोटिस देगा जिसमें उस पर निर्धारित कर की धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी और उससे ऐसी नोटिस तामीली के दिनांक से 30 दिन के भीतर निर्धारित कर के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा।

(2) कर निर्धारण के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति लिखित रूप में होगी और उसमें उन आधारों का उल्लेख किया जायेगा जिससे कर निर्धारण विवादग्रस्त हो गया हो और उसको कर निर्धारण अधिकारी को नोटिस में निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) कर निर्धारण अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण करेगा कि किन्हीं आपत्तियों का निस्तारण करेगा और कर निर्धारण सूची में कोई संशोधन, जो आवश्यक हो, करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन कर निर्धारण सूची में किया गया कोई संशोधन जिला पंचायत के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

12. जिला पंचायत किसी भी समय, कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित रीति से परिवर्तन या संशोधन कर सकती है :–

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसकी आय पर कर निर्धारित किया जाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया गया है, नाम दर्ज करके,

(ख) ऐसे किसी निर्धारण में जो कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल से किया गया हो, परिवर्तन करके,

(ग) किसी लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को ठीक करके।

परन्तु जिला पंचायत कम से कम एक मास पूर्व ऐसे किसी परिवर्तन या संशोधन को, जिसे वह इस नियम के अधीन करने का प्रस्ताव करे, नोटिस देगा जिसमें कर निर्धारिती को आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा, यदि प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से निर्धारित कर बढ़ जाय या यदि इससे कर निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

13. कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता और जिला पंचायत का कोई कर्मचारी, जिसे जिला पंचायत द्वारा कर वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जाय, कर वसूल करेगा और उसे इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र 'ग' में एक रसीद देगा।

14. सम्बद्ध वर्ष के लिए कर की समस्त धनराशि का भुगतान दो समान किस्तों में, प्रतिवर्ष पहली किस्त 15 मई तक और दूसरी किस्त 15 नवम्बर तक, जिला पंचायत के कार्यालय में किया जायेगा :

परन्तु यदि कोई करदाता वर्ष के लिए, कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 15 मई को या उसके पूर्व करता है, तो उसे एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

15. यदि करदाता कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो कर के बकाये के रूप में देय समस्त धनराशि न्यायालय के माध्यम से वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :–

(क) अधिनियम के अध्याय आठ की धारा 147 से 155 के अधीन नियत रीति से या तो चल सम्पत्ति का अभिहरण और बिक्री करके ; या

(ख) भू–राजस्व के बकाये के रूप में, जैसा कि अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित है, वसूल की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करदाता द्वारा नहीं किया जाता है तों कर के बकाये पर ऐसी अवधि के लिए जब तक उत्पन्न रहता है, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज भी लिया जायेगा।

(ग) यदि कर निर्धारिती, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कर्मचारी या राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी, सार्वजनिक उपक्रम का कर्मचारी, राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी शिक्षा संस्था का कर्मचारी या राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था का कर्मचारी या किसी कम्पनी या फर्म का कर्मचारी है, तो प्रत्येक मामले में उसकी विभागाध्यक्ष या नियोजन का यह दायित्व होगा कि कर्मचारी के वेतन से कर की धनराशि 2 किस्तों में कटौती करके, जैसा कि नियम 13 में उपलब्धित है, जिला पंचायत की निधि में कटौती के दिनांक से एक मास के भीतर जमा कराये।

16. अधिनियम के अध्याय आठ की धारा 147 से 155 के उपबन्धों के अनुसार कर के बकाये की वसूली की दशा में शुल्क और व्यय निम्नलिखित दर से वसूल किया जा सकेगा :–

		धनराशि
(क)	अधिनियम की धारा 150 के अधीन नोटिस	2 रुपया या जैसा राज्य सरकार के राजस्व संग्रह विभाग द्वारा तत्सदृश कार्य के लिये समय–समय पर निर्धारित किया जाय, इसमें जो भी अधिक हो।
(ख)	अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिहरण	5 रुपया या जैसा राज्य सरकार के राजस्व संग्रह विभाग द्वारा तत्सदृश कार्य के लिये समय–समय पर निर्धारित किया जाय, इसमें जो भी अधिक हो।
(2)	अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन अभिगृहीत और कांजी हाऊस में रखे गये किसी पशुधन अनुरक्षण का व्यय	जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धित कांजी हाऊस में निरूद्ध पशुधन के सम्बन्ध में जिला पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर।

17. (1) भू–राजस्व के बकाये की भांति कर के बकाये की वसूली की दशा में, जिला पंचायत, कलेक्टर को एक प्रमाण–पत्र भेजेगा जिसमें करदाता द्वारा देय धनराशि विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(2) उपनियम 1 के अधीन प्रत्येक प्रमाण–पत्र इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–घ में तैयार किया जायेगा, जिस पर जिला पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और उसकी मुहर लगाई जायेगी और उसे उस जिले के, जिसमें करदाता या उसका विधि प्रतिनिधि सामान्यतया निवास करता हो, कलेक्टर को भेज दिया जायेगा।

(3) उपनियम 2 के अधीन प्रमाण–पत्र की प्राप्ति कर, कलेक्टर उसे इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज करायेगा और प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि को भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(4) उपनियम 3 के अधीन वसूल की गयी धनराशि, यथासम्भव वसूली के दिनांक से एक मास के भीतर जिला पंचायत को भेजी जायेगी।

(5) अधिनियम की धारा 153 या 155 के अधीन किसी अभिहरण की कार्यवाही में या भू–राजस्व के बकाये की भांति किसी वसूली में अभिगृहित पशुधन को, यथासम्भव, जिला पंचायत द्वारा प्रबन्धित निकटतम कांजी हाऊस में रखा जायेगा।

अध्याय–पाँच

कर की वापसी और भुगतान की प्रक्रिया

18. कोई व्यक्ति, जिसने सम्पूर्ण अधिवर्ष के लिये कर का भुगतान कर दिया है या जो इस अवधि के लिये कर–निर्धारण से मुक्त हो गया हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, कर की अनुपातिक धनराशि वापस पाने का हकदार होगा :–

(क) केवल पूरे मास के लिये ही धन की वापसी की जायेगी ;

(ख) धन की वापसी की गणना करने में पूरे मास से कम किसी खंडित अवधि की गणना नहीं की जायेगी ; और

(ग) कोई धनराशि तब तक वापस नहीं की जायेगी जब तक कि इस सम्बन्ध में सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को लिखित नोटिस न दी जाय।

अध्याय–छः

अपील

19. (1) विभव और सम्पत्ति पर कर के निर्धारण या उसमें किसी परिवर्तन या संशोधन के विरुद्ध अपील अधिनियम की धारा 136 के अधीन निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत प्राधिकारी को, की जा सकती है।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जायेगी जिसमें उस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, आपत्तियों के कारण संक्षिप्त रूप में दिये जायेंगे।

(3) प्रतिवादियों पर तामील करने के लिये अपील के ज्ञापन के साथ उसकी पर्याप्त संख्या में प्रतिलिपियां और इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र (ड़) में नोटिस की प्रतिलिपियां भी होंगी।

(4) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर उसके प्रस्तुत करने का दिनांक लिखा जायेगा और यदि वह समय से प्रस्तुत किया गया हो और अधिनियम की धारा 135 के खण्ड (ख) के उपबन्धों का अनुपालन किया गया हो, तो उसको नोटिस प्रतिवादियों पर तामील की जायेगी, जिसमें सुनवाई का दिनांक निश्चित होगा।

(5) नियत प्राधिकारी के विवेकानुसार सुनवाई को किसी प्रक्रम पर, किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित किया जा सकता है।

(6) दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् नियत प्राधिकारी अपना आदेश लिखित रूप में देगा, जिसमें उसके विनिश्चय के कारण दिये गये होंगे और वह उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे सुनायेगा।

20. जो कोई भी इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक होगा और उल्लंघन जारी रहने वाला उल्लंघन हो तो अग्रेत्तर जुर्माने, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रुपये प्रतिदिन तक दण्ड दिया जा सकता है अथवा जुर्माने का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दंडित होगा, जो तीन मास तक का हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/12–भाग 3–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 15, 1934 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पंचायत हरबर्टपुर, देहरादून

26 नवम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 945 / 121 / गजट / 2012–13–नगर पंचायत, हरबर्टपुर नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नियमावली बनाती हैं। यह नियमावली नगर पंचायत, हरबर्टपुर क्षेत्र में शहर की सुन्दरता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी जा रही है। यह नियमावली गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

पिंक सिटी परिकल्पना नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ, विस्तार और प्रभाव–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम पिंक सिटी परिकल्पना नियमावली, 2012, नगर पंचायत, हरबर्टपुर है।

(2) नियमावली में जब तक अन्यथा न हो, नियमावली का तात्पर्य पिंक सिटी परिकल्पना नियमावली, 2012 से है।

(3) नियम का तात्पर्य, इस नियमावली में बनाये गये नियम से है।

(4) यह नियमावली, नगर पंचायत हरबर्टपुर की सीमा क्षेत्र पर प्रभावी होगी।

(5) इस नियमावली के तहत निर्मित भवनों पर निम्न उपबन्धों के आधार पर छूट प्रदान होगी। तत्समय प्रवृत्त किसी शहरी विकास विभाग की नियमावली आदेशों में या इस नियमावली से अन्यथा किसी नियमावली या आदेशों के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में किसी बात के असंगत/प्रतिकूल होने पर शहरी विकास विभाग का अन्तिम निर्णय/आदेश प्रभावी होगा।

2. परिभाषायें–

जब तक इस विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में :

(1) "नियमावली" का तात्पर्य पिंक सिटी परिकल्पना, 2012 से है ;

(2) "राज्य" से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है ;

(3) "एक्ट" का तात्पर्य उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) से है ;

(4) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर (देहरादून) से है ;

(5) "पालिका सीमा क्षेत्र" का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है जो कि शासकीय गजट संख्या 3821–टी/9–1–84–1–टी0–71, लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1984 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, में प्रकाशित सीमाओं यथासशोधित शासकीय गजट संत्र 2661/श0वि0/आ0/2002–106, देहरादून, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 से है ;

(6) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर (देहरादून) के अधिशासी अधिकारी से है ;

(7) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो हरबर्टपुर नगर पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो ;

(8) "भवन स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका नगर में अपना मकान हो और वह नगर पंचायत, हरबर्टपुर के अभिलेखों में दर्ज हो ;

(9) "पालिका बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासन या उनके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से है।

नगर पंचायत, हरबर्टपुर, जिला देहरादून नगर क्षेत्र को एकरूपता तथा अन्य विकसित शहरों जैसे बैगलूरू, जयपुर की भांति रमणीक लगें। बोर्ड प्रस्ताव सं0 247, दिनांक 03–09–12 के द्वारा संकल्प पारित कर निम्न नियम बनाती है :–

1. यह कि नगर पंचायत, हरबर्टपुर के ऐसे समस्त भवनों जिन पर रंग किया जा सकता है, उसे पिंक कलर में कराया जायेगा।

2. यह कि पिंकी कलर, भवन स्वामी को अपने व्यय पर कराना होगा।

3. भवन स्वामी द्वारा अपने भवन पर पिंक कलर करा लिये जाने की स्थिति में नगर पंचायत, हरबर्टपुर के अधिशासी अधिकारी को 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अवगत कराना होगा।

4. भवन स्वामी द्वारा उपरोक्तानुसार अवगत कराने पर भवन स्वामी की भवन कर की मांग से भवन स्वामी द्वारा कर जमा कराने के दौरान 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उससे पूर्व निकाय के अधिशासी अधिकारी कार्यालय के किसी कर्मचारी को भेजकर तसदीक करायेगा कि सम्बन्धित स्वामी का कथन सत्य है और पुष्टि उपरान्त ही छूट करने के आदेश दिये जायेंगे। ऐसे छूट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का पृथक से एक पंजिका भी तैयार की जायेगी।

5. भवन स्वामी द्वारा नगर पंचायत को लिखित रूप में इत्तला दिये जाने पर कि उनके द्वारा अपने भवन पर नगर पंचायत द्वारा घोषित पिंक कलर कर दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा उसका अपने व्यय पर फोटोग्राफ भी तैयार कराया जायेगा।

6. पिंक कलर कराने पर 15 प्रतिशत की धनराशि उपरोक्तानुसार पात्र भवन स्वामी को प्रदान की जायेगी और नगर पंचायत द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व कर जमा किये जाने की स्थिति में पूर्व का 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान यथावत लागू रहेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् भवन कर जमा करने की स्थिति में 5 प्रतिशत छूट नहीं दी जा सकेगी।

7. पूर्व में पात्र भवन करदाता के द्वारा यदि अपने भवन का कलर पुनः बदल दिया जाता है तो उन्हें इस नियमावली के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

आर्थिक दण्ड की प्रक्रिया

चूंकि, नगर में पिंक कलर करने की प्रक्रिया, सौन्दर्यकरण तथा नगर को रमणीक बनाने के उद्देश्य से है। नगर की सफाई आदि के सम्बन्ध में कई प्राविधानों के अन्तर्गत चालान/अर्थदण्ड आदि की प्रक्रिया पृथक से की जाती रहती है। ऐसे में इस नियमावली के अन्तर्गत कोई आर्थिक दण्ड का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन के रूप में नागरिकों को उनके कृत्य के आधार पर भवन कर में छूट प्रदान की जायेगी।

कार्यालय, नगर पंचायत हरबर्टपुर, देहरादून

26 नवम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 949/117/गजट/2012–13–नगर पंचायत, हरबर्टपुर के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 242, दिनांक 03–09–2012 के द्वारा नगर क्षेत्र हरबर्टपुर में पूर्व से चली आ रही साप्ताहिक पैठ की वसूली की दरें आदि संशोधित की गयी हैं संशोधन को यथा प्रख्यापित करते हुये निम्न प्रकार नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत नियमावली तैयार की गयी है :–

साप्ताहिक पैठ नियमावली, 2012

(1) "नियमावली" का तात्पर्य साप्ताहिक पैठ नियमावली से है ;

(2) "राज्य" से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है ;

(3) "एक्ट" का तात्पर्य उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) से है ;

(4) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर (देहरादून) से है ;

(5) "पालिका सीमा क्षेत्र" का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है जो कि शासकीय गजट संख्या 3821–टी/9–1–84–1–टी0–71, लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1984 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, में प्रकाशित सीमाओं यथासंशोधित शासकीय गजट सं0 2661/श0वि0/आ0/2002–106, देहरादून, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 से है ;

(6) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर (देहरादून) के अधिशासी अधिकारी से है ;

(7) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो हरबर्टपुर नगर पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो ;

(8) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा नगर पंचायत हरबर्टपुर द्वारा ठेका छोड़ा गया हो और अनुबन्ध किया गया हो ;

(9) "पालिका बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, हरबर्टपुर के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासन या उनके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से है।

1. ठेके की अवधि 01, अप्रैल से 31 मार्च तक होगी, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं।

2. कोई भी बकायादार न तो बोली दे सकेगा और न ही जमानत धनराशि जमा कर सकेगा।

3. बोली बोलने से पूर्व ठेकेदार को ₹ 2,00,000 जमानत धनराशि के रूप में जमा करने होंगे। जो अन्तिम किस्त में समायोजित होगी।

4. बोली बोलने से पूर्व ठेकेदार को उपनियम पढ़कर/सुनकर/हस्ताक्षर/अंगूठा लगाना होगा।

5. उच्चतम बोलीदाता को बोली के तुरन्त बाद कुल बोली का 1/4 जमा करना होगा, यदि वह धनराशि जमा नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा जमा, जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ठेका द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के नाम छोड़ा जायेगा, यदि वह भी धनराशि जमा नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा भी जमा, जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ठेका तृतीय उच्चतम बोलीदाता के नाम छोड़ा जायेगा, यदि वह भी जमा नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा जमा जमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। पुनः ठेका नीलाम किये जाने हेतु तिथि अलग से नियत की जायेगी।

6. ठेकेदार को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर अनुबन्ध करना होगा, न कराये जाने की स्थिति में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और जमा, जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7. प्रतिभूति धनराशि ठेका समाप्ति के 06 मास उपरान्त अथवा समपरीक्षा के उपरान्त वापस की जायेगी। अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि अपने निर्देशानुसार अन्तिम किस्त में समायोजित कर दें।

8. ठेके की किस्ते निर्धारित तिथि में जमा न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष माहेदय को अधिकार होगा कि वे ठेका निरस्त कर दे अथवा ₹ 25, प्रतिदिन की दर से तावान लगा दें, यदि तावान लग जाता है तो वह मात्र एक सप्ताह ही चलेगा, इसके उपरान्त भी ठेकेदार किस्त जमा नहीं करता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वह ठेके की पुनः नीलामी करें या आमानी में वसूल करायें। आमानी या ठेके से जो वसूली होगी, यदि वह पूर्व में नीलाम किये गये ठेके के कम वसूल होती है तो वह कम धनराशि ठेकेदार से आर0सी0 जारी करके वसूल की जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार हर्जे–खर्जे का स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि धनराशि अधिक वसूल होती है तो इस पर नगर पंचायत का अधिकार होगा।

9. ठेका नीलामी के 04 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति 25 प्रतिशत बढ़ाकर प्रार्थना–पत्र दे सकता हैं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि 25 प्रतिशत बढ़ी हुयी धनराशि एवं नीलामी का 1/4 भाग कार्यालय में जमा करनी होगी, इसकी सूचना प्रथम बोलीदाता/ठेकेदार को भी दी जायेगी, प्रार्थना–पत्र अस्वीकार होने की दशा में यह धनराशि चैक द्वारा वापस की जायेगी।

10. यदि कोई दुकानदार, ठेकेदार को देय धनराशि नहीं देता हैं तो ठेकेदार उस दुकानदार को रजिस्टर्ड नोटिस देगा। यदि इसके उपरान्त भी दुकानदार, ठेकेदार को देय धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो ठेकेदार इसकी सूचना नगर पंचायत में लिखित रूप में देगा, नगर पंचायत ऐसे दुकानदार को नगर पंचायत की सीमा में बिक्री नहीं करने देगा।

11. ठेके से सम्बन्धित किसी भी दैविक आपदा/विपदा/हानि के लिये नगर पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी।

12. ठेकेदार को प्रत्येक शुल्कदाता को रसीद देना अनिवार्य होगा तथा रसीद बुकों का अनुमोदन नगर पंचायत कार्यालय से करना होगा।

13. अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वह स्वयं या किसी कर्मचारी को भेजकर देयदाता की रसीद चैक करा सकते हैं। इस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी वरण ठेकेदार जाँच में पूर्ण सहयोग के लिये बाध्य होगा। यदि रसीद अधिक शुल्क की पाई जाती है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14. ठेकेदार की वसूली सम्बन्धित कोई भी शिकायत पायें जाने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वह स्वयं या किसी कर्मचारी को भेजकर देयदाता की रसीद चैक करा सकते हैं। इसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी, जाँच के लिये ठेकेदार पूर्ण सहयोग के लिये बाध्य होगा, यदि रसीद अधिक शुल्क की पाई जाती है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

15. ठेकेदार की वसूली सम्बन्धी किसी भी शिकायत के पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करें, यदि वे आवश्यक समझे तो ठेका निरस्त भी कर सकते हैं।

16. अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे ठेके की उचित बोली न आने की दशा में बोली निरस्त कर देवें या अन्य विवरित परिस्थितियों के कारण नीलामी न करें इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति का अधिकार न होगा।

17. बोली करने वाले स्थल पर मात्र जमानत राशि जमा करने वाले व्यक्ति ही बैठेंगे शेष व्यक्तियों को स्थल पर बैठने का अधिकार न होगा।

18. यदि कोई ठेकेदार ठेका नगद लेना चाहता है तो 10 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि और ₹ 15 के स्टॉम्प पर अनुबन्ध करना होगा।

19. साप्ताहिक पैठ का स्थान पॉवटा रोड, हरबर्टपुर, जिला देहरादून होगा जिस पर मात्र सोमवार को ही पैठ लगेगी, लेकिन इस दिन पैठ का ठेकेदार नीचे लिखे विवरण के अनुसार नगर पंचायत की समस्त सीमा से वसूली करेगा। यथा परिस्थितियोवश स्थान का परिवर्तन का निर्णय लिया जा सकता है, इस पर ठेकेदार को आपत्ति का अधिकार न होगा।

20. ठेकेदार का प्रथम व अनिवार्य कर्तव्य होगा कि पैठ को सुनिश्चित ढंग से लगवायें, समान एक दुकान अनेक का फार्मूला अपनायेगा तथा सड़क के किनारे से 6 फिट पीछे दुकान को लगवायेगा, ऐसा न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे समक्ष कार्यवाही करेंगे। साप्ताहिक पैठ बाजार में यदि कोई दुकानदार लगातार 03 सप्ताह तक नहीं आता है, तो उसे उसका पूर्व निर्धारित ठीया/स्थान दिया जाये अथवा न दिया जाये या उसकी व्यवस्था साप्ताहिक बाजार मे ही अन्य स्थान में की जाये। इसका अधिकार साप्ताहिक पैठ के ठेकेदार को होगा।

21. साप्ताहिक पैठ की वसूली का विवरण निम्न प्रकार होगा :–

    (1) ठेकेदार भूमि पर बैठनें वालों से (दुकानदार) से ₹ 30, प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूल करेगा।

    (2) यदि पैठ में पशु विक्रय के लिये आते हैं तो ठेकेदार उन से ₹ 30, प्रति पशु की दर से वसूल करेगा।

(3) जो ट्रक हरबर्टपुर में सामान उतारेगा, ठेकेदार उससे 6 पहिये वाले ट्रक से ₹ 50, प्रति की दर से एवं अन्य वाहन से ₹ 30, प्रति की दर से वसूल करेगा परन्तु यह वसूली ट्रक मालिक अथवा ट्रक ड्राईवर से ही की जायेगी, जो मैटिरियल, भवन बनाने के काम आता है और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर बिक्री हेतु उतारा जायेगा, उससे ठेकेदार वसूली करेगा किन्तु जो भवन सामग्री, निजी भवन निर्माण हेतु उतारी जायेगी, उससे ठेकेदार वसूली नहीं करेगा, बशर्ते ट्रक मालिक/ड्राईवर किराया न करता हो।

(4) स्कूटर/मोटर साईकिल पर फेरी करने वालों से ₹ 15, वसूल किये जायेंगे।

(5) कार/थ्री व्हीलर पर कोई भी समान बेचनें/फेरी करने वालों से ठेकेदार ₹ 60, प्रति की दर से वसूल करेगा परन्तु सामान उतारने पर कोई वसूली नहीं करेगा।

(6) घोड़ा बुग्गी/झोटा बुग्गी पर कुछ भी समान बेचने वाले से ठेकेदार ₹ 30, प्रति की दर से वसूली करेगा परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि सामान उतारने पर कोई वसूली नहीं की जायेगी।

(7) रिक्शा पर कोई सामान बेचने पर ठेकेदार ₹ 30, प्रति की दर से वसूल करेगा।

(8) बैलगाड़ी पर कोई समान बेचने पर ठेकेदार ₹ 30 प्रति की दर से वसूल करेगा परन्तु किसान के वाहन से कोई वसूली नहीं की जायेगी बशर्ते की वह किराया न करता हो, फेरी न करता हो।

(9) घोड़े/गधे पर सामान बेचने पर ठेकेदार उनसे ₹ 15 प्रति की दर से वसूल करेगा।

(10) मजमा लगाने वाले में दवाई बेचने पर ₹ 60 तथा शेष प्रकार का मजमा लगाने वालों से ₹ 30 वसूल करेगा।

(11) हाथ रेड़ी पर कुछ भी सामान बेचने वालों से ठेकेदार ₹ 15 प्रति की दर से वसूल करेगा, जो लगातार एक ही स्थान पर खड़ी रखता है, चाहे वह पैठ स्थल हो अथवा भार हो और यदि कोई भी ठेली अपने निर्धारित स्थान से पैठ में जाती है, तो ठेकेदार उससे ₹ 45 प्रति की दर से वसूल करेगा। निर्धारित स्थान पर खड़ी रहने वाली रेहड़ियों की सूची कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। स्थाई ठेलियों के अतिरिक्त नई ठेलियों से जो सूचियों में नहीं होगी, ठेकेदार उनसे ₹ 30, प्रति दर से वसूल करेगा।

(12) आईस्क्रीम की ठेली से ₹ 21, प्रति की दर से वसूल करेगा।

(13) सार्वजनिक स्थानों पर रक्खे गये खोकों से ठेकेदार ₹ 15, प्रति की दर से वसूल करेगा। फोल्डिंग वालों से ठेकेदार ₹ 60, प्रति फोल्डिंग की दर से वसूल करेगा। फोल्डिंग माप 6/3 की मान्य होगी।

22. शैरायतें अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे ठेकेदार को आदेश के रूप में दे सकते हैं, जिसका पालन करना ठेकेदार को व पैठ के दुकानदारों का आवश्यक होगा, अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे किसी भी मद को किसी भी समय घटा सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। इस पर आपत्ति करने का अधिकार किसी को न होगा।

23. ठेकेदार को शासनादेश संख्या 206/नौ–9–97–70ज/97, दिनांकित 19–11–97 के निर्देशानुसार जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24. बोर्ड/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, यदि समझे कि नगर पंचायत को किसी नियम में आंशिक परिवर्तन/बढ़ोत्तरी आदि से आय में वृद्धि हो सकती है तो किसी उपनियम में आंशिक संशोधन का अधिकार होगा परन्तु ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जिससे किसी शासनादेश का उल्लंघन तथा किसी दर में परिवर्तन किया जा सके।

एस0 पी0 जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर,
देहरादून।

धनदेश उनियाल,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, हरबर्टपुर,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/12–भाग 8–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।